एस.आनंद

बनाम

वासुमति चन्द्रशेखर

(दाण्डिक अपील संख्या 311/2008)

[एस.बी. सिन्हा बनाम वी.एस. सिरपुरकर, जेजे]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा-256 और 311-परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारित करने का कथित अपराध- आपराधिक परिवाद -महानगर मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त-अपीलार्थी को द.प्र.सं. की धारा 256 (1) के तहत यह कथन करते हुये दोषमुक्त कर दिया कि शिकायतकर्ता लगातार अनुपस्थित थी और उसकी ओर से कई सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधित्व भी नही किया गया -उच्च न्यायालय द्वारा आदेश रद्द किया गया - इस पर अपील में यह अभिनिर्धारित किया गयाः कि शिकायतकर्ता या उसके वकील की उपस्थिति केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गए गवाहों की प्रतिपरीक्षण के लिए ही आवश्यक होती-यदि वह ऐसा करने का आशय नहीं रखती, तो वह उसके स्वयं की जिम्मेदारी/जोखिम पर है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्ण रूप से आवश्यक है-इसके अलावा, जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया था और अभियुक्त से दं.प्र.सं. की धारा 311 के तहत पूछताछ की जा चुकी है, तो उक्त स्थिति में प्रकरण के

गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था - हालाँकि, जिस तरीके से उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा किया गया था, वह उचित नहीं था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रयोग किये जाने का उचित मामला नहीं है। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 - धारा 138

प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा दायर एक शिकायत याचिका के आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के धारा **138** के कथित अपराध के लिए अपीलार्थी को महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजित किया जा रहा था। महानगर मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त-अपीलार्थी को द.प्र.सं. की धारा **256 (1)** के तहत यह कथन करते हुये दोषमुक्त कर दिया कि - शिकायतकर्ता लगातार अनुपस्थित थी और उसकी ओर से कई सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधित्व भी नही किया गया - उक्त के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह तथ्य प्रस्तुत किये गये कि शिकायतकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहा है, ऐसे में उच्च न्यायालय को महानगर मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार के तहत प्रयोग में लिये गये क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था और शिकायतकर्ता ने न केवल किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मुख्तयारनामा का निष्पादन किया था, बल्कि एक वकील भी नियुक्त किया था।

यद्यपि, प्रत्यर्थी/परिवादी ने यह तथ्य प्रस्तुत किये कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मामले को बचाव साक्षी की जांच के लिए स्थगित कर दिया गया था,

ताे मजिस्ट्रेट द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 256 के तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था।

वर्तमान अपील में यह प्रश्न विचारण हेतु उद्भूत हुआ कि क्या आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.) की धारा 256, जिसमें परिवादी के व्यतिक्रम पर शिकायत के निपटारे का प्रावधान करती है, का प्रकरण के तथ्यों में अवलम्ब लिया जा सकता है जबकि शिकायतकर्ता की ओर से गवाह पूर्व में ही परीक्षित हो चुके थे।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1 बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने के लिए तारीख तय की। अपीलार्थी यदि चाहता तो वह गवाहों को परीक्षित करवा सकता था। उस स्थिति में, प्रकरण में शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। [पैरा 11] [875-डी, ई]

1.2. अभियुक्त दं.प्र.सं. के धारा 311 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार था। इस तरह के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचार कर निस्तारित करने की आवश्यकता थी। परिवादिया ने स्वयं को गवाह के रूप में परीक्षित नही करवाया। उसे जिरह के लिए फिर से बुलाने की मांग की गई थी। उक्त प्रार्थना पर अभी तक अनुमति नहीं दी गई। लेकिन, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उक्त आधार पर न्यायालय स्वयं को प्रदत्त धारा 256 दं.प्र.सं. के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार को उक्त स्तर पर प्रयाेग करे या बचाव पक्ष उसके गवाहों को परीक्षित नही करवाये। [पैरा 12 [875-E, F, G]

1.3. शिकायतकर्ता या उसके वकील की उपस्थिति केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक होती। यदि वह ऐसा करने का आशय नहीं रखती, तो वह उसके स्वयं की जिम्मेदारी/जोखिम पर है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्ण रूप से आवश्यक है। इसके अलावा, जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया था और अभियुक्त से दं.प्र.सं. की धारा 311 के तहत पूछताछ की जा चुकी है, तो उक्त स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। [पैरा 13] [875-एच; 876-ए, बी]

1.4. हालाँकि, जिस तरीके से उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा किया गया था, वह उचित नहीं था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रयोग किये जाने का यह उचित मामला नहीं है। [पैरा 16] [876-डी, ई]

1.5. हालाँकि, इस तथ्य को दृष्टितगत रखते हुए कि शिकायत याचिका बहुत पहले दिनांक 10.01.2002 को दायर की गई थी, विचारण न्यायाधीश को विधि अनुसार मामले को आगे बढ़ाना चाहिए व प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए। जिस तारीख (तारीखों) को अभियुक्त उपस्थित रहता है, शिकायतकर्ता कोई स्थगन नहीं लेगी और यदि वह न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का विकल्प नहीं चुनती है, तो न्यायालय विधि अनुसार प्रकरण में आगे कार्यवाही करेगा। [पैरा 17] [876-ई, एफ]

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद [(1998) 1 एस.सी.सी. 687: ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 536] एवं जिमी जहांगीर मदन बनाम बोली गरियप्पा इंडले (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि (2004) 12 SCC 509- संदर्भित

दाण्डिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 311/2008.

मद्रास उच्च न्यायालय के दाण्डिक अपील संख्या 537/2006 में पारित दिनांक 15.09.2006 के निर्णय और आदेश के संबंध में

एस. आनंद (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता)

ए. रेगुनाथन, पी. विनय कुमार। प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय प्रदत्त किया गया।

एस**.** बी**.** सिन्हा**,** जे**.**

1. अनुमति प्रदान की गई

2. याचिकाकर्ता महानगर मजिस्ट्रेट, सैदापेट, चेन्नई की न्यायालय में प्रत्यर्थी/परिवादी जो कि यहां प्रत्यर्थी है के द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता के विरूद्ध पेश की गई शिकायत पर अभियोजित किया जा रहा था।

3. उक्त कार्यवाही में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को परक्षित करा दिया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी तरफ से केस को बंद कर दिया तथा बचाव पक्ष के गवाह के परीक्षण व बहस हेतु दिनांक 10.04.2006 नियत कर दी गई थी।

हालाँकि, अपीलार्थी ने स्वयं शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके विरूद्ध सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था।

उक्त पुनरीक्षण आवेदन में, कार्यवाही स्थगन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। जबकि अपीलार्थी लगातार विचारण न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित था व शिकायतकर्ता अनुपस्थित रही थी।

4. दिनांक 18.04.2006 को या इसके लगभग अपीलार्थी ने स्वयं को शिकायतकर्ता के अनुपस्थित रहने के आधार पर दोषमुक्त किये जाने का आवेदन पेश किया। दिनांक 24.04.2006 के आदेश के जरिये, विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) के तहत अभियुक्त को यह कहते हुये बरी कर दिया, किः-

> "शिकायतकर्ता अनुपस्थित है। कई पेशियों से सुनवाई के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं। अभियुक्त उपस्थित, शिकायतकर्ता सुनवाई के तारीख 03.03.2005 से लगातार अनुपस्थित। इसलिए शिकायतकर्ता को तीन बार आवाजे लगाई गई। न तो शिकायतकर्ता

और न ही उसके वकील ने शाम 5:30 बजे तक न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिये उपस्थित हुये किया। सी. डब्ल्यू. 1 को परीक्षित किया गया। अतः अभियुक्त काे दं.प्र.सं. धारा 256 (1) के तहत दाेषमुक्त किया गया।"

5. इसके पश्चात उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी जिसको एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद ((1998) 1 एस.सी.सी. 687: ए.आई.आर. 1998 एस. सी. 536] के न्यायिक दृष्टान्त पर अवलम्ब लेते हुये अनुमत किया गया।

6. प्रारम्भ में हम यह संज्ञान में लेते है कि विवादित आदेश पारित किये जाने से पूर्व, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को यह राय देते हुए कि अपील को लंबित रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, नोटिस देने का विकल्प नहीं चुना और एक जी विनोदकुमार को विधिक सहायता से वकील के रूप में नियुक्त किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी हमारे सामने है।

7. श्री आनंद द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह तथ्य प्रस्तुत किये गये कि शिकायतकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहा, ऐसे में उच्च न्यायालय को विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त स्थिति में उपयोग किये गये विवेकाधीन क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जबकि वह व्यक्तिगत

रूप से उपस्थित हो रहा था और शिकायतकर्ता ने न केवल दूसरे के पक्ष में मुख्तयानामा का निष्पादन किया, बल्कि एक वकील भी नियुक्त किया गया था।

श्री आनंद ने यह भी तथ्य रखे कि अधिवक्ता जाे कि मुवक्किल का प्रतिनिधि होता है, को सुनवाई की तिथियों पर उपस्थित होना अनिवार्य था, विशेष रूप से तब जब कोई अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था और सुनवाई के सभी दिनों के लिए न्यायालय में उपस्थित रहा था। किसी भी स्थिति में, यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय ने केवल एक विधिक सहायता के वकील को सुनकर अपील का निस्तारण करने में एक गंभीर त्रुटि कारित की है और यहां तक कि उसके द्वारा की गई दलीलों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

8. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. रेगुनाथन ने यह तथ्य प्रस्तुत किये कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि प्रकरण को बचाव साक्षियों के परीक्षण हेतु स्थगित कर दिया गया था, उक्त स्थिति में विद्वान मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत स्वयं के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XX मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया से संबंधित है।

"256 परिवादी का हाजिर नही होना या उसकी मृत्यु

(1) यदि परिवाद पर समन जारी किया दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिस पर सुनवाई स्थगित की जाती

है, परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट, इसके पूर्व किसी बात के होते हुये भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिये मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक नहीं समझेः

परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की व्यक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे, जहां परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु हो।

10. संहिता की धारा 256 में व्यतिक्रम के कारण परिवाद को निपटारे का प्रावधान है जिसका परिणाम दोषमुक्ति है। लेकिन यह प्रश्न विचार हेतु उद्भूत होता है कि - क्या उपरोक्त प्रावधान का अवलम्ब प्रकरण के इन तथ्याें के प्रकाश में लिया जा सकता है जबकि परिवादी की साक्ष्य को पूर्व से परीक्षित करवाया जा चुका है।

11. बचाव पक्ष के गवाहों के परीक्षण के लिए तारीख नियत की गई थी। अपीलार्थी यदि ऐसा करना चाहता तो गवाहों को परीक्षित करा सकता था। उस स्थिति में, शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों से जिरह किया जाना उनको देखना था।

12. अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार था। इस तरह के आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा चिन्तन कर निपटाये जाने की अपेक्षा थी। हम यहाँ यह भी पहले भी संज्ञान में ले चुके हैं कि शिकायतकर्ता ने स्वयं को गवाह को रूप में परीक्षित नहीं कराया। उसको जिरह के लिए फिर से बुलाने की मांग की गई थी। उक्त प्रार्थना की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त आधार पर न्यायालय उक्त स्तर पर ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा या बचाव पक्ष स्वयं के गवाहों को परीक्षित नही करवायेगा।

13. शिकायतकर्ता व उसके वकील की उपस्थिति जैसा कि यहाँ पहले वर्णित किया गया है, केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों से जिरह के उद्देश्य के लिये ही आवश्यक होती। यदि वह ऐसा करने का आशय नहीं रखती, तो वह उसके स्वयं की जिम्मेदारी/जोखिम पर है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्ण रूप से आवश्यक है-इसके अलावा, जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया था और अभियुक्त से दं.प्र.सं. की धारा 311 के तहत पूछताछ की जा चुकी है, तो उक्त स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित करना आवश्यक था।

14. हम यहाँ इस बारे में चिंतित नहीं हैं कि क्या शिकायतकर्ता का गठित वकील शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर सकता था।

जिमी जहांगीर मदन बनाम बोली गरियप्पा इंडले (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि (2004) 12 SCC 509- के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता प्रकरण के संबंध में नहीं है।

15. शिकायतकर्ता का ऐसा ही तर्क कि अधिवक्ता अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि है और उसका कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल की तरफ से उपस्थित हो, उक्त तर्क हमारी राय में इस अपील के दायरे से बाहर है।

16. इसीलिए हम, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटान जिस तरीके से किया गया उसको अनुमोदित नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे में यह मत है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

17. हालाँकि, इस तथ्य को दृष्टितगत रखते हुए कि शिकायत याचिका बहुत पहले दिनांक 10.01.2002 को दायर की गई थी, विचारण न्यायाधीश को विधि अनुसार मामले को आगे बढ़ाना चाहिए व प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए। जिस तारीख (तारीखों) को अभियुक्त उपस्थित रहता है, शिकायतकर्ता कोई स्थगन नहीं लेगी और यदि वह न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का विकल्प नहीं चुनती है, तो न्यायालय विधि अनुसार प्रकरण में आगे कार्यवाही करेगा।अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों को विचारण न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी से दो सप्ताह के भीतर पेश होने का निर्देश दिये जाते है।

17. अपील उक्त पूर्व विवेचित प्रेक्षण के साथ खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।